श्रीमती सुभा राज व अन्य

बनाम

संकर सरकार व अन्य

24 जुलाई 2007

(डॉ0 अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, जे.जे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 401 सपठित धारा 402 और 482 आपराधिक पुनरीक्षण, द्वितीय पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत को खारिज करने के विरूद्ध-पुनरीक्षण- निगरानी (पुनरीक्षण) याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत माना गया है और प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया-अभियुक्त के स्वामित्व को सुने बिना पारित आदेश-निर्धारित-दूसरी निगरानी वर्जित है-हालांकि प्रक्रिया जारी करने और संज्ञान लेने के समय, अभियुक्त को सुनवाई का कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों की सुनवाई प्रथम पुनरीक्षण अदालत के समक्ष की गई थी और शिकायतकर्ता के कहने पर अभियुक्तों के नाम वाद शीर्षक से हटा दिए गए थे, उच्च न्यायालय को अभियुक्त की बात सुननी चाहिए थी- मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थी सं. 1 ने आपराधिक परिवाद अपीलार्थियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने परिवाद को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष निगरानी दायर की जो अपर जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी थी, उसके पश्चात् दूसरी निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 401 सपठित धारा 402 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय ने निगरानी को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के

तहत याचिका माना और मजिस्ट्रेट को अपीलार्थियों के विरूद्ध प्रक्रिया जारी करने के निर्देश दिये।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थियों ने तर्क लिया कि उच्च न्यायालय ने गलती से धारा 401 सपठित धारा 402 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निगरानी को अंतर्गत धारा 482 के अन्तर्गत मान लिया और उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करने के पूर्व उन्हें नहीं सुना गया।

प्रत्यर्थी सं 1 ने यह तर्क लिया कि आदेशिका (प्रोसेस) जारी करने के मामले में अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

निर्धारित अपील के निस्तारण कर और उच्च न्यायालय को मामला प्रेषित कर माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि -

1. मामला आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत और दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रतिबंध के मद्देनजर दर्ज किया गया था। दूसरा निगरानी किसी भी स्थिति में कायम रखने योग्य नहीं थी। आदेश पारित होने से पहले अपीलार्थियों को नहीं सुना गया। (पैरा 6) (495-डी)

2. हालांकि प्रक्रिया जारी करने और संज्ञान लेने के समय आरोपी को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है लेकिन पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष तत्काल मामले के तथ्यों में अपीलार्थियों को सुना गया। इसके अलावा उनके नाम वाद शीर्षक में बी दर्शाए गए थे, जिन्हें प्रतिवादी सं.1 के अनुरोध पर हटा दिया गया था। इस स्थिति में उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने से पहले अपीलार्थियों को सुनना चाहिए था। (पैरा 8 और 9) (495-ई, एफ)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं0 927/2007

सीआरआर सं 2203/2005 कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय व

आदेश की दिनांक 12.01.2006 से।

ध्रुव मेहता, राणा एस. बिस्वास और सरला चंद्रा अपीलार्थियों की ओर से।

तारा चन्द्र शर्मा, नीलम शर्मा, एच.के.पुरी, प्रिया पुरी, यू.बी. बनर्जी, वी.एम. चौहान और एस.के. उतरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ0 अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. छूट स्वीकृत की गई।

2. इस अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 401 सपठित धारा 402 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है।

3. याचिका के समर्थन में मुख्य शिकायत यह है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा याचिका स्वीकार करने से पहले अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है :-

अपीलार्थी सं.1 अपीलार्थी सं.2 की पत्नी है जो पेशे से डॉक्टर है, प्रत्यर्थी सं.1 ने धारा 323, 342, 382, 386 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई। विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और दो अन्य के बयान दर्ज करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित

आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाना एक पुनरीक्षण के लिए आवेदन विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट बी, अलीपुर, दक्षिण 24-परगना के समक्ष दायर की गई थी। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता-प्रतिवादी सं.1 की सुनवाई के बाद उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक माना गया था, हालांकि इसके संहिता की धारा 401 सपठित धारा 402 के तहत एक माना गया था। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और मजिस्ट्रेट को अपीलान्ट्स के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की बात सुनी गई। वर्तमान याचिका में प्रारंभ से अपीलकर्ताओं को पार्टियों के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 के अनुरोध पर, उनके नाम हटा दिए गए थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि यद्यपि प्रतिवादी नं0 1 ने स्वयं याचिका को धारा 401 सपठित धारा 402 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक याचिका के रूप में प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय ने गलती से इसे संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका मान लिया। वाद शीर्षक से यह स्पष्ट है कि मामला आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत दर्ज किया गया था और संहिता में निहित रोक के मद्देनजर दूसरा पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में सुनवाई योग्य नहीं था। आदेश पारित होने से पहले अपीलकर्ताओं को नहीं सुना गया।

7. प्रतिवादी सं.1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रक्रिया जारी करने के मामले में अभियुक्त को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

8. प्रक्रिया जारी करने और संज्ञान लेने के समय आरोपी को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रस्ताव में कोई झगडा नहीं हो सकता है, लेकिन पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष तत्काल मामले के तथ्यों में अपीलकर्ताओं को सुना गया। इसके अलावा उनके नाम वाद शीर्षक में दर्शाए गए थे, जिन्हें प्रतिवादी सं. 1 के अनुरोध पर हटा दिया गया था।

9. उपरोक्त स्थिति में उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने से पहले अपीलकर्ताओं को सुनना चाहिए था। इसलिए मामले की योग्यता ओर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की विचारणीयता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम आक्षेपित आदेश को निरस्त कर देते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेज देते हैं।

10. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

के.के.टी अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हनुमान प्रसाद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।